

6 60 391

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे० डी०-91/761—पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 का धारा 4 क उपधारा (1) (ख) द्वारा प्रदान शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शों में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव नंगला भीकू के प्राथमिक विद्यालय, जिला फरीदाबाद के ग्राम-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र महत्त्व घोषित करते हैं।

अनुबन्ध

जिला फरीदाबाद के गांव नंगला भीकू में प्राथमिक विद्यालय के ग्राम-पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूची को ड्राईन संख्या डी०टी०पी०(एफ)-1226/90, दिनांक 26 फरवरी, 1990 के साथ पढ़ा जाए।

अनुसूची

उत्तर : नक्शों में अंकित बिन्दु 'ए' से लेकर, अर्थात् गांव भुर्जा, छपरोला गांव नंगला भीकू की सीमाओं का बिन्दु उनके बाद उत्तर-पूर्व की ओर गांव नंगला भीकू की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां यह उक्त गांव की पूर्वी सीमा से मिलता है, उसके बाद दक्षिण-पूर्व की ओर पूर्वी सीमा के साथ-साथ उस बिन्दु तक, जहां यह पिथंला गांव का राजस्व आयत संख्या 65 की पश्चिमी सीमा से मिलता है, उसके बाद उत्तर की ओर राजस्व आयत संख्या 65 और 62 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक, उसके बाद पूर्व की ओर गांव पिथंला की राजस्व आयत संख्या 62, 61 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर बिन्दु 'सी' तक, जो गांव पिथंला की आयत संख्या 61 का उत्तर-पूर्वी कोना है।

पूर्व : उसके बाद दक्षिण की ओर गांव पिथंला की राजस्व आयत संख्या 61, 66, 85, 89 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक, उसके बाद पूर्व की ओर गांव पिथंला की राजस्व आयत संख्या 107 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ई' तक, उसके बाद दक्षिण की ओर गांव पिथंला की राजस्व आयत संख्या 107 तथा 111 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एफ' तक, उसके बाद पूर्व की ओर गांव पिथंला की राजस्व आयत संख्या 127 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'जी' तक, उसके बाद दक्षिण की ओर राजस्व आयत संख्या 127 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एव' तक, जोकि गांव पिथंला की आयत सं० 127 का दक्षिण-पूर्वी कोना है।

दक्षिण : उसके बाद पश्चिम की ओर गांव पिथंला की राजस्व आयत संख्या 131, 130 और गांव दुधौला की आयत संख्या 3 और 4 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उस बिन्दु तक, जहां यह गांव नंगला-भीकू की दक्षिण-पूर्वी सीमा से मिलता है, उसके बाद दक्षिण-पश्चिम की ओर गांव नंगला-भीकू और गांव सिकन्दरपुर की दक्षिण-पूर्वी सीमाओं के साथ-साथ उस बिन्दु तक, जहां यह गांव सिकन्दरपुर की दक्षिणी सीमा से मिलती है तथा उसके बाद उत्तर-पश्चिम की ओर उक्त गांव की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'आई' तक, जहां यह गांव सिकन्दरपुर की राजस्व आयत संख्या 30 की पश्चिमी सीमा से मिलती है।

पश्चिम : उसके बाद, उत्तर की ओर गांव सिकन्दरपुर (गांव आबावी सहित) की राजस्व आयत संख्या 30, 26, 19, 15 और 6 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उस बिन्दु तक, जहां यह गांव नंगला भीकू की पश्चिमी सीमा से मिलता है और उसके बाद उत्तर की ओर उक्त गांव की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए', अर्थात् आरम्भ के बिन्दु तक।

तरसेम साल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 22nd January, 1991

No. JD-91/761.—In exercise of the Powers conferred by sub-section (1) (b) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Area Restriction of unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him, the Governor of Haryana is pleased to declare the area around Primary School, village Nangla-Bhiku, district Faridabad as specified in the schedule of boundaries given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area, for the purposes of the said act namely:—

ANNEXURE

Schedule of boundaries of the controlled Area around Primary school, village Nangla-Bhiku, district Faridabad to be read with Drawing No. D. T. P. (F) 1226/90, dated 26th February, 1990.

North: Starting from point 'A' marked on the plan i.e. the trijunction of village boundaries of village Bhurja, Chhaprola and village Nangla Bhiku, thence towards North-East along the Northern boundary of village Nangla Bhiku up to the point where it meets the Eastern boundary of the said village, further towards South-East along the said Eastern boundary up to the point where it meets the Western boundary of revenue rectangle No. 65 of village Pirthala further towards North along the Western boundary of revenue rectangle No. 65 and 62 up to point 'B', thence towards East along the northern boundary of revenue rectangle No. 62, 61, of village Pirthala, up to point 'C' which is the North-Eastern corner of rectangle No. 61 of village Pirthala.

East: Thence toward South along the Eastern boundary of revenue rectangle No. 61, 66, 85, 89 of village Pirthala up to the point 'D', thence towards east along the northern boundary of revenue rectangle No. 107 of village Pirthala up to the point 'E', thence towards South along the Eastern boundary of revenue rectangle No. 107 and 111 of village Pirthala up to the point 'F', thence towards east along the northern boundary of revenue rectangle No. 127 of village Pirthala up to point 'G', thence towards South along the Eastern boundary of revenue rectangle No. 127 up to point 'H' which is the South-East corner of rectangle No. 127 of village Pirthala.

South: Thence towards West along the Northern boundary of revenue rectangle No. 131, 130 of village Pirthala, and rectangle No. 3 and 4 of village Dudhola up to the point where it meets the South-Eastern boundary of village Nangla-Bhiku, thence towards South-West along the South-Eastern boundaries of village Nangla-Bhiku and village Sikanderpur up to the point where it meets the Southern boundary of village Sikanderpur and further towards North-West along the said village boundary up to point 'I' where it meets the Western boundary of revenue rectangle No. 30 of village Sikanderpur.

West: Thence towards North along the Western boundary of revenue rectangle No. 30, 26, 11, 19, 15 and 6 of village Sikanderpur (including village Abadi) up to the point where it meets the Western boundary of village Nangla Bhiku and further towards North along the said village boundary up to point 'A', i.e. the point of start.

TARSEM LAL,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Town and Country- Planning Department.